दि० 4-1-2018 वादी व उभय पक्षकारान उक्त रकबा 5.00 हे० सरकार से मुसल में ही खरीदी गया आदेशानुसार दि० 28-3-2018 को पेश हो।

दि० 28-3-2018

बार एसो० सिरोही द्वारा रजा० बार एसो० के मेमोरेण्डम अतिदत्त होने व न्यायिक कार्य स्थगित रखा है 01-5-2018 को पेश हो।

दि० 1-5-2018 आज यह वाद नियमानुसार आपके द्वारा अभियान 2018 के तहत 200 के 30 दिन बोर्ड में मेरे समक्ष पेश हुई। सुनवाई के दौरान उभय पक्षकारान तथा उनके अधिवक्तागण को हाजिर होने हेतु बार-2 आवाजें लगवाने के बावजूद दिन कोर्ट समय तक हाजिर नहीं हुये है। पार्थी का नोटिस वकील शुल्क प्रदत्त होने से रु० 30 रुपया वहशीलयत सिरोही नेहरी के पास क्रमांक राजस्व/2018/01 दिनांक 1-5-2018 के संलग्न वांछित बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा पेश को प्रतिपक्ष में पेश किया, जिसे शामिल किया।

हमने उक्त बंटवारा प्रस्ताव तथा इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दि० 24-10-2011 का समान्य रूप से अध्ययन कर उसपर मनन किया। वांछित उक्त बंटवारा प्रस्ताव वाद शुदा कृषि भूमि मौजा मालवा पटवार हल्का खेत वह० सिरोही की जमाबंदी संवत 2073-2076 के खाता नं० 252 के खा० नं० 62 रकबा 0.48 किस्म बा० 2 खा० नं० 66 रकबा 1.94 हेक्टेयर किस्म बा० 2 का मौजिदा वर्तमान जमाबंदी मेघवी पक्षकारान (खातेदार) के हक हिस्से व मिल्कियत के आधार पर सही होना पाया जाता है। अतः वहशीलयत सिरोही द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव

App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम सिरोही

श्रीमति बिजा बनाम रमेश चन्द

किस्म मुकदमा 53 RT Act

50 सं० - 123/11

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

के आधार पर उक्त आदेशानुसार भूमि आवंटी के विभाजन की कार्यवाही नियमानुसार पार्टी नोन जुडिस्टेन्स के पर पेश करने पर फाईनल डिक्री जारी हो।

तहसीलदार सिरोही से प्राप्त बोटवारा प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त हुये है:-

क्र०सं०	खातेदार का नाम जाति सहित निवास स्थान	खा०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1-	रमेशचन्द पुत्र देवाराम जाति मीणा नि० कोदरला तह० पिण्डवाड़ा	अं.नं.+1 / 66	1.62	बा.2	3.24
	खातेदार	1	1.62	–	3.24
2-	बीजा पुत्री नवीया जाति मील सा.दे.ह खातेदार	62	0.48	बा.2	0.96
		अ.नं.+2 / 66	0.32	बा.2	0.64
		2	0.80	–	1.60

अतः उपरोक्तानुसार फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय 210 को० 30 के अन्तर्गत सामान्य में रखा था। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

11/5/18

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही